उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टी सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ

19212८

पंजीकृत दिनांक 16-12-16

संदर्भ संख्या सी–1 / एन0ओ0सी0–1209 / 2016

सेवा में,

मै0 लाउरियेट बिल्डवेल प्रा0लि0,
ग्रुप हाउसिंग परियोजना–"पार्क्स लाउरियेट",
323, अग्रवाल प्लाजा, प्लाट नं0–3,
डी0डी0ए0 कम्युनिटी सेन्टर, सेक्टर–14,
रोहिणी, दिल्ली–110085

विषयः पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से ग्रुप हाउसिंग परियोजना की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने अनापत्ति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि परियोजना को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन के साथ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत स्थापनार्थ सहमति (एन0ओ0सी0) स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा हैः–

(क) **स्थलः**– मै0 लाउरियेट बिल्डवेल प्रा0लि0, द्वारा प्रस्तावित हाउसिंग परियोजना "पार्क्स लाउरियेट", प्लाट स0–जी0एच0–01, 02, 03, सेक्टर–108, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

(ख) **उत्पादनः**– प्रस्तावित 44280.00 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल पर बिल्टअप एरिया 210854.8 वर्गमीटर का निर्माण कार्य।

ग) **मुख्य कच्चे मालः**– बिल्डिंग मैटेरियल।

(घ) **घरेलू उत्प्रवाह की मात्राः**– 355.67 कि0ली0 / दिन

(ड.) **प्रयुक्त ईंधनः**– 1000 के0वी0ए0 के 02 डी0जी0 सेट हेतु डीजल।

उपर्युक्त विषय वस्तु मे किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. परियोजना / उद्योग मे सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय मे प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. परियोजना / उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन / संचालन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन / संचालन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन / संचालन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि परियोजना / उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत परियोजना / उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. परियोजना / उद्योग में परीक्षण उत्पादन / संचालन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।